

Enabling Environment at the Grassroots to Combat Corruption

CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CUTS CART), Jaipur organised the final dissemination meeting on February 15, 2007 at HCM-RIPA, Jaipur, under the project entitled 'Combating Corruption in Rajasthan State, India, by Applying RTI Act as a Tool'. The one-year pilot project, which started in March 2007, with the support of the Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC, is being implemented in the rural areas of Tonk and Jaipur districts of Rajasthan.

Objective

The meeting aimed to disseminate achieved outcomes of the project, primarily the results through filing of applications under the RTI Act, 2005 and recommending to the governments at national and sub-national level to curb corruption in the governance. It also aimed to consolidate comments from a wide range of participants and presenting a clear agenda to the members of Consortium of Groups Combating Corruption (CGCC).

Participants

The key participants were MD Kaurani, the Chief Information Commissioner (CIC), Rajasthan; AK Pandey, Additional Chief Secretary and Development Commissioner, Government of Rajasthan; Sohini Paul, Project Officer, RTI Project, Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), New Delhi; representatives from various "rights based advocacy groups", CGCC members from Ajmer and Jaipur divisions; *Panchayati Raj* members from Tonk and Jaipur districts; Manju Saini, *Pradhan* (Head) from Jaipur district; academicians; lawyers; media persons; and non-governmental organisations (NGOs) working on RTI Act.

Proceedings

The meeting began with welcome remarks by George Cheriyan followed by a brief PowerPoint presentation on project's background, achievements against envisaged outcomes, key findings of the field survey and the applications that are filed under the RTI Act, 2005. The main focus of the presentation was the final outcome of the project, which includes: increased level of awareness in the target districts; establishment of 42



MD Kaurani delivering the inaugural address

empowered civil society organisations (CSOs) in two divisions; vibrant CGCC in place in two divisions; accomplishment in filing 737 RTI applications against the target of 500 on schemes/programmes meant for the poor and on other key services; and creation of an enabling environment at the grassroots, which has enhanced transparency and accountability in the governance process.

While delivering the inaugural address, MD Kaurani said that CSOs and government must work together in making the RTI Act effective. He acquiesced that the level of awareness has increased in Rajasthan, especially in the rural areas during the last one year. He suggested that like the Anti Corruption Act, there should be an 'Anti-Delay Act'. AK Pandey said the RTI Act has come ahead of time, due to two reasons: one, in most cases the required information is not readily available with the government; and secondly, the mindset of the

IN THIS ISSUE

- Key Comments 2
- Meetings/Workshops/Seminars on RTI 2
- RSRTC Policy 3
- Banwarilal Case Study 4
- Landmark Decision of SIC 4
- CART in Media 4



CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)

D-222, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India • Ph: 91.141.513 3259, 228 2821
Fax: 91.141.228 2039, 228 2485 • Email: cart@cuts.org • Website: www.cuts-international.org

In Partnership With: Partnership for Transparency Fund (PTF), Washington DC



To make the government, at all levels, more accountable and more transparent, and to fight the cancer of corruption, we had introduced the Right to Information Act. I want every citizen to make full use of this Act to ensure that government functions properly and honestly. –August 15, 2007, Prime Minister Manmohan Singh.

bureaucracy, which was conditioned towards the ‘Official Secret Act’ is taking time to change.

Sohini Paul said that there is a need for rigorous follow up to maintain the momentum generated through this project. She underlined the need for documenting each of the cases for wider dissemination, follow up of the cases and preparation of a model for proactive disclosure, which could be used by various departments.

Ashok Kumar Vaishnav and Banwari Lala Bairathi, the CGCC members from the Ajmer and Jaipur divisions respectively, shared their successful experiences while dealing with government mechanism and addressing corruption by applying the RTI Act, 2005.



Sohini Paul (CHRI) interacting with participants

Key Comments

The participants’ comments/statements that were received during the event are mentioned below:

Appreciation	Critique	Recommendations
<ul style="list-style-type: none"> The project is unique in terms of taking forward the recommendations of the RTI National Convention that was held in New Delhi on October 13-15, 2006. A great change has been noticed in last one year. The local bodies i.e. municipalities, municipal corporations, <i>panchayats</i> etc., are the most important bodies where the citizens are filing maximum number of applications. Cases of imposing penalty on the guilty government officials are low, but this has improved tremendously. The RTI Act, 2005 is a great gift to the citizens of independent India. 	<ul style="list-style-type: none"> Unnecessary filing for irrelevant information deprives the needy citizens from their rights. Since in government departments the records are not updated and information is not readily available, the citizens will have to face problems at least for the next 2-3 years. Fee deposit mechanism under the Act should be simplified. The delay in providing information is also a major cause of corruption thus government should take immediate measures to avoid the situation. The mindset of service providers, especially those in the government has yet not undergone the desired change. 	<ul style="list-style-type: none"> Imparting training to government functionaries on RTI Act, 2005 is essential. There should be proper documentation of cases and results of the applications that were filed under the RTI Act, 2005 for wider dissemination. Besides, pinpointing the flaws in government mechanism, the CSOs should come forward for support particularly towards the “proactive disclosure” under the Act. The project should not only be replicated in remaining five divisions of Rajasthan State but also in other states of the country. On the basis of project implementation a comprehensive training module should be developed. To ensure corruption free governance, the Consumer Protection Act (COPRA), 1986 is also need to be applied adequately along with the RTI Act, 2005.

Meetings/Workshops/Seminars on RTI

Public Dialogue on Good Governance

Centre for Advocacy and Research (CFAR), Chennai organised a Public Dialogue on Good Governance and Access to Information with special focus on RTI Act, 2005 at Pink City Press Club, Jaipur on December 08, 2007. AB Paul represented CUTS CART in the event.

Symposium on ‘RTI: Action Now’

George Cheriyan, Ajnish Biswas and AB Paul attended a Symposium entitled, ‘Right to Information: Action Now’ at the Pink City Press Club, organised by the Public Relations Society of India, Chandigarh along with Pink City Press Club, Jaipur. Wajahat Habbibullah, Chief Information Commissioner (CIC) of India was the chief guest in the symposium along with MD Kaurani, CIC Rajasthan.

Colloquium of RTI Practitioners

Under the Government of India initiated project entitled “Capacity Building for Access to Information” George Cheriyan attended the national colloquium on “The Right to Information Act: Impact on Governance and Service Delivery” organised by Centre for Good Governance (CGG), Hyderabad and Yashwant Rao Chavan Academy of Development Administration (YASHADA), Pune on February 26-28, 2008 in Hyderabad. George made a presentation on ‘Impact of RTI on Service Delivery: Rajasthan Experience’ based on the CUTS CART’s work in Rajasthan.

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की टालमटोल नीति

भूमिका

सड़कों पर बढ़ती वाहनों व तेज रफ्तार दुर्घटनाओं को खुला निमन्त्रण देती हैं। राजस्थान पुलिस विभाग के 2007 के आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन औसतन 65 दुर्घटनाएं हुईं और उन दुर्घटनाओं में प्रतिदिन औसतन 22 लोगों की अकाल मृत्यु हुई। इसी विषय को लेकर 'कट्स-कार्ट' के अजनीश बिश्वास ने रा.रा.प.प.नि में यात्रियों के लिए उपलब्ध प्राथमिक उपचार पेटियां, शिकायत पुस्तिका की उपलब्धता व किराये के साथ लिये जाने वाली बीमा राशि का उपयोग का सम्पूर्ण विवरण 'सूचना के अधिकार' अधिनियम के अन्तर्गत मांगा था।

'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत आवेदन

'सूचना का अधिकार' अधिनियम के तहत पहला आवेदन दिनांक 22.11.2007 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को किया गया। इस आवेदन में चाही गई सूचनाएं निम्नांकित हैं:

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत राज्य में आने वाले सभी बस डिपो की सूची एवं राज्य में कार्यशील/चलित बसों (नगरीय बसों सहित) की कुल संख्या का सम्पूर्ण विवरण।
2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यशील/चलित कुल बसों में से कितनी बसों में शिकायत पुस्तिका व प्राथमिक उपचार पेटी उपलब्ध हैं, का सम्पूर्ण विवरण।
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त संचालित वाहनों में शिकायत पुस्तिकाओं एवं प्राथमिक उपचार पेटियों हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु प्रस्तावित बजट एवं वास्तविक स्वीकृत बजट राशि का सम्पूर्ण विवरण।
4. गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसें दुर्घटनाग्रस्त हुईं एवं दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को कुल कितनी बीमा राशि प्रदान की गई, का सम्पूर्ण विवरण।

सूचना जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई

1. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत राज्य में कुल 48 बस डिपो हैं। कार्यशील/चलित बसों (नगरीय बसों सहित) की कुल संख्या 4258 जिसमें 4150 निगम वाहन एवं 108 अनुबन्धित वाहन है।
2. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त संचालित वाहनों में शिकायत पुस्तिका एवं प्राथमिक उपचार पेटी रखाने के निर्देश दिये हुये हैं इनका संधारण आगार सतर पर किया जाता है। समस्त आगार प्रबन्धकों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर रखा है। अतः सम्बन्धित जानकारी आगारवार सूचना नियमानुसार आप समस्त आगारों से प्राप्त करें।
3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शिकायत पुस्तिकाओं एवं प्राथमिक उपचार पेटियों हेतु पृथक से कोई बजट मद नहीं है। शिकायत पुस्तिका मुद्रण का कार्य सामान्य मुद्रण व्यय के अन्तर्गत स्टेशनरी स्टोर मुख्यालय द्वारा कराया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक उपचार पेटियां ईकाइयों द्वारा उनके स्तर से ही विविध मद (Miscellaneous Fund) से आवश्यकतानुसार क्रय की जाती हैं।

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्ष 2006-07 में 648 बसें दुर्घटनाग्रस्त हुईं एवं दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों में मृतकों के परिजनों को 2,90,826/- रुपये तथा घायलों को 73,184/- रुपये बीमा योजना के अन्तर्गत तत्काल सहायता राशि का भुगतान किया गया। इसमें न्यायालय निर्णय की राशि सम्मिलित नहीं है।

प्रथम अपील

सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त सूचना के जरिये पत्र सं. एफ-154/मुख्या/लोसुअ/07/391, दिनांक 22 दिसम्बर 2007 जो कि आवेदनकर्ता को दिनांक 28 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हुई, किंतु आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 3 से सम्बन्धित सूचना अपर्याप्त थी।

अतः प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होकर आवेदनकर्ता ने अपीलीय अधिकारी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समक्ष बिन्दु सं. 3 से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील दायर की। दिनांक 16 फरवरी को अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समक्ष उपस्थित होकर बिन्दु सं. 3 के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा।

अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय

अपीलीय अधिकारी द्वारा पत्र क्र: एफ-अ.सं.12/08/मुख्या/अलोसुअ/सचिव/08/94, दिनांक 21 फरवरी, 2008 में अपना निर्णय दिया।

- प्रत्यार्थी का कथन था कि आवेदन के बिन्दु सं. 3 में सूचना आगार स्तर की है एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के समस्त मुख्य प्रबन्धकों को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर रखा है। अतः बिन्दु सं. 3 की सूचना आगार वार अधिनियमानुसार समस्त आगारों में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है।
- अपीलार्थी का कथन था कि उन्हें बिन्दु सं. 3 की सूचना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की थी जो उनके द्वारा ही सूचना उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी।
- अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के पक्ष को सुना एवं अपील पत्रावली के साथ संलग्न समस्त पत्रादि का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने बिन्दु सं. 3 के अनुसार जो सूचना चाही है वह वास्तव में अत्यंत ही विस्तृत एवं आगारों से सम्बन्धित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (3)(1) के अनुसार वांछित सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की गई है।
- चूंकि इस बिन्दु पर सूचना समस्त आगारों द्वारा संधारित की जाती है, इसलिए उक्त सूचना अपीलार्थी अलग से समस्त आगारों में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार अस्वीकार की जाती है।

द्वितीय अपील

अतः प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने का निर्णय लिया।



बनवारी लाल को दवाइयां मिली

- बनवारी लाल बैराठी, ग्राम विराट नगर, जिला जयपुर

बीमार होने पर हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विराटनगर जाते हैं। वहां पर डॉक्टरगण अधिकांश बाहर की दवाइयां लिखते हैं, उसमें उनका अपना निजी स्वार्थ होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ज्यादातर सभी प्रकार की बीमारियों में एक ही प्रकार की दवाई देते हैं। कहने व पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं देते। ज्यादातर बाहर के मेडिकल स्टोर की दवाई लिखते हैं, जो कि महंगी होने के कारण सभी के वश की बात नहीं है।

मैंने सोचा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5-6 दवाइयों के अलावा और भी दवाइयां होगी, जो बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क मिलनी चाहिए। मैंने इस बारे में डॉक्टरों से पूछा, तो बताया कि ये ही दवाइयां हैं, बाकी बाजार से खरीदो। मैंने कहा कि मैं बी.पी.एल. परिवार से हूँ, बाहर से दवाइयां खरीदने में असमर्थ हूँ। इस पर डॉक्टर ने कहा कि हम क्या करें, आपको ठीक होना है तो बाजार से खरीदो, वरना मत खरीदो।

मैं निराश होकर आ गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से बी.पी.एल. के लिए दवाइयों की सूची हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने 'सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005' के अन्तर्गत आवेदन किया, जिसमें विराटनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों की

सूची मांगी। दूसरा आवेदन 'सूचना के अधिकार' के अन्तर्गत यह भी लगाया कि जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से कितने बी.पी.एल. मरीजों को इलाज हेतु दवाइयां वितरित की गईं। मुझे एक माह के अंदर ही बी.पी.एल. के लिए स्वीकृत दवाइयों की सूची दी गई तथा जनवरी, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक माहवार बी.पी.एल. मरीजों की संख्या भी उपलब्ध कराई गई, जिसमें 80 दवाइयों के नामों की सूची एवं बी.पी.एल. परिवारों की संख्या जिनका इलाज किया गया था, की सूची उपलब्ध करवाई गई। यह सूचना के अधिकार अधिनियम की सफलता ही कहा जाएगा, इससे पहले हम लोग शोषण एवं भ्रष्टाचार के शिकार थे।

इस सफलता के बाद मैंने ग्रामीण क्षेत्र के अनेक गांवों में जाकर 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की जानकारी लोगों को दी, जिससे लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। साथ ही, लोगों ने स्थानीय मर्दों को लेकर 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र लगाये, जिनमें से ज्यादातर में सफलता मिली है। इससे लोग काफी संतुष्ट हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और लोगों में आशा की किरण जागी है।

राजस्थान सूचना आयोग का ऐतिहासिक निर्णय

अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी

उमराव सिंह मेहता बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपील सं. 1172/2007) के मामले में राजस्थान सूचना आयोग ने प्रत्यार्थियों को यह निर्देश दिया कि वे अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करायें।

प्रकरण के अनुसार अपीलार्थी उमराव सिंह मेहता ने लोक सूचना अधिकारी से कतिपय सूचनाएं प्राप्त करने की बाबत एक आवेदन प्रस्तुत किया। सूचना नहीं दिये जाने पर उसने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। किंतु इस अपील पर भी निर्धारित 30 दिन की अवधि में निश्चय नहीं किया गया। अतः आयोग स्तर पर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह उत्तर दिया गया कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत नियम विरचित नहीं

किये जाते, तब तक वर्तमान अपील को स्थगित रखा जाये। आयोग उमराव सिंह की अपील पर अवलोकन करने के पश्चात् कहा कि अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार अपीलार्थी उमराव सिंह को सूचना प्राप्त करने का अधिकार था। लोक प्राधिकारी ने उसे 30 दिवस की अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवायी, धारा 7 (6) के अनुसार यदि लोक प्राधिकारी 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो फिर सूचना मांगने वाले व्यक्ति को निःशुल्क सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। उमराव सिंह का प्रकरण इसी श्रेणी का है, इसलिए अब यह निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

इस प्रकार आयोग ने अपील को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी को यह निर्देश दिया कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायें।

